कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण

(स्थापना शाखा)

कार्यालय आदेश

विभागीय अधिसूचना संख्या 594 दिनांक 23.06.2021 एवं अधिसूचना संख्या 755 दिनांक 03.07.2021 द्वारा प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019–2020 के पंचायत नियोजन ईकाईयों का द्वितीय चक्र में दिनांक 13.08.2021 को काउंसलिंग आयोजित किया गया है। पंचायत नियोजन द्वारा तैयार मेधा सूची का अनुमोदन बिहार पंचायती राज्य अधिनियम 2006 यथा संशोधित बिहार पंचायत राज (संशोधित) अध्यादेश 2021 के अधिनियम की धारा–66 की नई उपधारा (5) के अंतर्गत गठित परामर्शी समिति द्वारा किये जाने के उपरान्त काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी है। अंकनीय है कि बनियापुर प्रखण्ड अंतर्गत कुल 5 पंचायत नियोजन ईकाई ग्राम पंचायत राज धनगड़हा, ग्राम पंचायत राज पिठौरी, ग्राम पंचायत राज कमता, ग्राम पंचायत राज पिरौटा खास, ग्राम पंचायत पैगाम्बरपुर नियोजन ईकाई द्वारा अंतिम मेधा सूची का परामर्शी समिति से अनुमोदन नहीं कराया गया है। सिर्फ औपबंधिक मेधा सूची को ही जिला में उपलब्ध कराया गया है।

अतः निदेशक, प्राथमिक शिक्षा बिहार, पटना के पत्रांक 762 दिनांक 29.07.2021 के आलोक में उक्त पाँचो पंचायत नियोजन ईकाई का काउंसलिंग तत्काल स्थगित किया जाता है। विभाग द्वारा तृतीय चक्र हेतु समय निर्धारित होने पर काउंसलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

ह० 14.08.21

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, सारण।
12.8.21

ज्ञापांक 2761 छपरा दिनांक 12-08-2021

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित पंचायत सचिव/ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बनियापुर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनियापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इस पत्र को NIC के वेबपोर्टल पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

ह० 14.08.21

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, सारण।
12.8.21